COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

145

मान्नीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

केम्प उज्जैन म.प्र.

प्र0क्र0 /2018 निगरानी— 5087/2018/शाजापुर/भू.रा.

प्रभुलाल पिता मोतीलाल आयु 90 साल जाति कुलमी पाटीदार धंधा कृषि निवासी एवं कृषक ग्राम खोकराकलॉ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

..................**निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

शम्भूदयाल दत्तक पुत्र कैलाशनारायण आयु 55 साल जाति महाजन निवासी कालापीपल मण्डी कृषकग्राम खोकराकलॉ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

..................**विपक्षी**

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1950 विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार (भागीरथ जायसवाल) टप्पा अरन्याकलॉ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर के न्यायालीयन प्रकरण कमांक 6 अ–70 वर्ष 2017–2018 शंभूदयाल विरूद्ध प्रभुलाल में पारित आदेश दिनांक 11–6–2018 से परिवेदित एवं दुखी होकर ।

मान्नीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से यह निगरानी पत्र निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु सादर प्रस्तुत है :–

निरन्तर...............2

(3)

प्रभूलाल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5087/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से यह निगरानी/तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	